85

#### **Telephones in Chandigarh**

6386. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) what is the number of telephones in Chandigarh;
- (b) what is the number of average daily faults;
- (c) whether some numbers remain out of order for more than a week; the details thereof:
- (d) what is the number of telephones at level 2 exchange at Chandigarh;
- (e) how many telephones at this exchange are reported out of order daily; and
- (f) how many remain faulty for more than a week?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) 30899 as on 31.3.94.

- (b) 226
- (c) Yes Sir. 35 (average per month)
- (d) 9780
- (e) 106 daily on an average.
- (f) IS on an average per month.

# यथ्य प्रदेश में एसन्टीन्डी॰, पीन्सी॰ओ॰ और आई॰एसन्डी॰ बुध

6387. श्री गोविन्द राम मिरी: कया संचार मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ और आई॰एस॰डी॰ बूधों को खोलने और उनकी खीकृति के लिए निर्धारित मापदंड क्या हैं;
- (ख) मध्य प्रदेश के बिलासपुर, एक्गढ़ और सरगूजा जिलों में इस प्रकार के कितने कृथ हैं तथा ठनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा पूर्व-सैनिकों को आवैटित किय गए हैं, इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है:
- (ग) इस प्रकार के बूध खोलने के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं और वे कब से लंबित हैं तथा इनका निबदारा कब तक कर दिया जाएगा;
- (घ) क्या इन जिलों में बूधों की मंजूरी के लिए कोई समिति गठित की गयी है; यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और उनका कार्यकाल क्या है; और
- (ङ) क्या समिति में सदस्यों का नामांकन राजनीतिक, आधार पर किया जाता है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ पी॰सी॰ओ॰ खोलने के बारे में निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखाए)।

(ख) इन जिलों में स्वीकृत एस॰टी॰डी॰ पी॰सी॰ओ॰ इस प्रकार हैं:—

विस्त	फेल्से- ओ: ची सं:	अनु॰ जाति	जनगति	भूतपूर्व सैनिक	महिस्सपं
<b>एवगढ़</b>	34	1	2	1	9
सरमूब	30	_	_	_	_
संगृत्त विलासपुर	81	_	_	-	9

(ग) रायगढ़ और सरगुजा जिलों में कोई आवेदन पत्र संबित नहीं है। बिलासपुर में 472 आवेदन पत्र संबित है और इन आवेदनों के बारे में पी॰सी॰ओ॰ आकंटन समिति जांच पड़ताल के बाद निपटा देगी, बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

(च) बिलासपुर जिले के लिए एस॰टी॰डी॰,

88

पी॰सी॰ओ॰ आवंटन समिति का गठन कर दिया गया है जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

- 1. श्री कान्ता सिन्हा
- 2. श्री शेख गफ्फार
- 3. श्री शेलैन्द्र चतुर्वेदी

रायगढ़ और सरगूजा जिलों के लिए एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ आवंटन समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, इन क्षेत्रों के एस॰एस॰ए॰ के अध्यक्षों को एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। बिलासपुर एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ समिति का कार्यकाल जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1995 तक का है।

### (ङ) जी नहीं।

#### विवरण

एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ बूथों को खोलने और उनकी स्वीकृति के लिए निर्धारित मापदंडो का ब्यौरा

दूरसंचार सर्किलों आदि के सभी मुख्य महाप्रबंधकों/ महाप्रबंधकों को संबोधित दूरसंचार विभाग के 24 जुलाई, 1993 के पत्र सं॰ 31-13/91-पी॰एच॰बी॰ की प्रतिलिपि।

विषयः—एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ नीति को पुनरीक्षा !

माननीय संचार राज्य मंत्री के आदेशों के तहत दिनांक 14.8.92 के हमारे कार्यालय ज्ञापन सं॰ 31-13/91 पी॰एच॰बी॰ में उल्लिखित एस॰टी॰डी॰ युक्त पे-फोनों के आवंटन संबंधी उदार-नीति की इस उद्देश्य से पुनरीक्षा की गई है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं जो तत्काल प्रभावी होंगे।

- I. सामान्य
- 1. पात्रता

एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन के लिए आवंदन करने हेतु सिर्फ शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ही पात्र हैं। उन्हें निम्नलिखित से प्राप्त बेरोजगारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए—अपने स्थानीय सांसद/विधायक/तहसीलदार या उसकी श्रेणी से उच्च श्रेणी के राजस्व प्राधिकारियों/रोजगार अधिकारी/जिला परिषदों के सदस्य या अध्यक्ष/पंचायत या ग्राम प्रधान या मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठनीं, यथा रोटरी क्लब/लायन्स क्लब

आदि के सचिव जिनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आवेदक का निवास-स्थान आता हो। आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं:—

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: आठवीं या मिडिल स्कूल पास और इससे अधिक।
- (ii) शहरी क्षेत्रों के लिए: कम से कम मैट्रिक या हाई स्कूल पास और इससे अधिक।

आवेदन विहित प्रोफार्मा में जमा किया जाना है तथा इसके साथ बेरोजगारी का प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए और एस॰टी॰डी॰ / पी॰सी॰ओ॰ के प्रचलन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निधीरित नियम तथा शर्ते स्वीकार होनी चाहिए।

### 2. वास्तविक व्यक्तियों का चयन।

वास्तिक ध्यक्तियों की समुचित छंटनी तथा सत्यापन के बाद एस॰टी॰डी॰ / पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन के लिए आवंदकों का चयन एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी। संभावित धोखा-धड़ी को रोक्तने के लिए बेरोजगारी के प्रमाण-पत्र की फोटो प्रतिलिपि बीमाकृत डाक द्वारा जारी करने वाले प्राधिकारी के पास, यह निवेदन करते हुए भेजी जाए कि वे इसे सत्यापित करें। समिति निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को तरजीह देते हुए उपलब्ध संख्या में पी॰सी॰ओ॰ आबंटित करेगी:—

- (क) विकलांग जिनमें नेत्रहीन शामिल हैं.
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक,
- (ग) भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं,
- ् (घ) सेवा-निवृत्त दूरसंचार विभाग के कर्मचारी तथा उनके आश्रित,
  - (ङ) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित,
  - (च) धमार्थ संस्थाएं/अस्पताल,

समिति को एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन और नए पी॰सी॰ओ॰ के लिए स्थान निर्धारित करने का पूर्ण प्राधिकार भी होगा।

#### समिति की संरचना

89

- (क) नए एस॰टी॰डी॰, पे-फोनों के आवंटन के लिए गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः
  - (i) गौण स्विचन क्षेत्र (एस॰एस॰ए॰) के प्रमुख-अध्यक्ष
  - (ii) एस॰एस॰ए॰ प्रमुख यथा लेखा अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी इत्यादि के अधीन विभाग के वित्त और लेखा स्कंध में कार्यरत एक अधिकारी-सदस्य
  - (iii) मंत्रालय द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।

#### आवंटन की कार्यविधि

एस॰टी॰डी॰ / पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन से संबंधित कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए कम से कम महीने में एक बार समिति की बैठक होगी, जिसमें एस॰टी॰डी॰ / पी॰सी॰ओ॰ के आबंटन के लिए पात्र व्यक्तियों के आवेदनों की छंटनी तथा चयन किया जाएगा।

## एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ के आबंटियों को कर्ज की सुविधा

एस॰एस॰ए॰ प्रमुख द्वारा आबंटियों की एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ आबंटन का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तांकि वे अधिसूचित बैंकों से कर्ज इत्यादि प्राप्त सकें। इस संबंध में एस॰एस॰ए॰ के प्रमुख द्वारा भी संपूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

#### 5. प्रावधान की सीमा

एक्सचेंज लाइनों की क्षमता के 50 प्रतिशत तक पी॰सी॰ओ॰ (एस॰टी॰डी॰ तथा स्थानीय) के आबंटन के लिए आरक्षित किया जाना है।

## एक्सचेंज का प्रकार जिनके साथ एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ को जोड़ा जाना चाहिए;

सामान्यतः एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जोड़े जाने चाहिए। किसी ऐसे स्थान में जहां इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, एक नया 128 पी॰सी॰-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या 16 कि॰ हर्टज को घेरलू मीटरिंग की क्षमता सहित अधिक क्षमता वाला एक इैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोला जा सकता है। इन एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के साथ कार्यरत काल लागरों को जोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सकेंज से 16 कि॰ हर्ट्ज साइकिल पत्स पर प्रकालित किया जाना चाहिए।

#### **७. सामान्य शर्ते**

- (i) एक आवेदक को सिर्फ एक एस॰टी॰डी॰ पे-फोर्न प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, मौजूदा शुल्क फ्रेंचाइजी, मौजूदा करार के नियमों तथा रातों के मुताबिक प्रचालन जारी रखेंगे।
- (ii) सभी एस॰टी॰डी॰ पे-फोर्नो की संस्थापना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनका रुख सड़क/गली की ओर होगा ताकि जनता की पृष्ठंच वहां निर्वाध हो सके।
- (iii) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों के खुलने का समय कम से कम सुबह के 6 बजे से गत के 10 बजे तक होगा।
- (iv) आखंटी के द्वारा प्रयुक्त टर्मिनल उपस्कर इंटरफेस अनुमोदित होना खहिए और वे स्थानीय रूप से कार्वक्रम योग्य नहीं होने चाहिए। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि॰ या अन्य उत्पादक, जिनका विभाग द्वारा इंटरफेस अनुमोदन किया गया है, उनके द्वारा निर्मित साधारण काल लागरों/प्रभार संकेतकों का प्रयोग किया जान खहिए। स्टाप वाच के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। (अनुमोदित प्रभार संकेतकों) चार्ज इंडिकेटर्स (की सूची अलग से परिचालित की जा रही है)।
- (v) एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ का आवंटी 10,000 काल यूनिटों तक 20 पैसे प्रति काल यूनिट, 10,000 से 20,000 काल यूनिटों के लिए 15 पैसे काल यूनिट और 20,000 काल यूनिटों के बाद 10 पैसे प्रति काल यूनिट की दर से एक महीने के भीतर किए गए काल यूनिटों की संख्या के लिए कमीशन का हकदार होगा।

एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ आबंटियों से प्रतिभृति जमा और बिलों की वसली की कार्बविधि निम्नानुसार होगीः

प्रति एस॰डी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ आबंटी के लिए सरकारी क्षेत्र के एक बैंक या डाकघर बच्चत बैंक में दो खाते खोले जायेंगे। पहला खाता दूरसंचार के नाम से खोला जाएगा जिसमें आवंटी 10,000 काल युनिटों तक 20 पैसे प्रति काल यूनिट, 10,000 से 20,000 काल यूनिटों तक 15 पैसे प्रति काल यूनिट और 20,000 काल यूनिटों से ऊपर 10 पैसे प्रति काल यूनिट की दर से 1 माह की अवधि के भीतर की गई कालों की कुल संख्या की कमीशन काटकर प्रतिदिन अपनी पूर्ण उगाही जमा करेगा। बैंक/डाकघर के साथ समन्वय रखते हुए लेखा अधिकारी (टी॰आर॰) राशि की समुचित जमा पर नजर रखेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ से संबंधित सभी बिल समय से उपरोक्त लेखे से समायोजित कर लिए जाते हैं। दूसरा खाता आवंटी के नाम से होगा तथा भारत संघ के राष्ट्रपति के पास गिरवी रखा जायेगा। प्रतिभूमि जमा के रूप में आवंटी 5 पैसे प्रति काल यूनिट की दर से इस खाते में रोजाना जमा करेगा और यह तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि शहरी एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के संबंध में यह 5,000/- रु॰ अथवा ग्रामीण एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के मामले में 600/- रु॰ या एक माह के औसत राजस्त, इनमें जो भी अधिक हो, के बराबर न हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि नजदीक में बैंक अथवा डाकघर की सुविधा उपलब्ध न हो, तो उपरोक्त रकमें साप्ताहिक तौर पर जमा की जा सकती हैं। मुस्तैदी से रुपया जमा कराने हेत टेलीफोन निरीक्षक तथा क॰दर॰ अधिकारी आवधिक पास बुकों की जांच करेंगे। यदि इस संबंध में किसी ने कोई चुक की हो तो उस चूककर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मामले को उच्च अधिकारियों की निगाहों में लाया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कर्मचारियों की खामियों के लिए उन्हें कडा दण्ड दिया जाएगा।

- (vj) प्रतिभृति जमा नगद एक किश्त में या बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है।
- (vii) देश के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों तथा 200 कि॰मी॰ के भीतर की सभी स्टेशनों की परस दरें आवंटी द्वारा प्रमुख रूप से दर्शायी जानी चाहिए।
- (viii) एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन के लिए आवेदकों की निर्धारित प्रपन्न में आवेदन करना होगा।
- (ix) जब आवेदक को एक एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ आवंटित किया जाता है तो उसे निर्धारित प्रपन्न में एक करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- (x) सभी एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ पर आने वाली काल सुविधा की अनुमति की जाएगा।
- (xi) स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत एस॰टी॰डी॰, वी॰सी॰औ॰ की शिफ्टिंग की अनुमति दी जाती है। डेल

(इी॰ई॰एल॰) पर लागू सामान्य शिफ्टिंग प्रचार वसूल किए आएंगे।

to Questions

- (xii) यह देखने के लिए आकस्मिक जांच की जानी चाहिए कि आवंटी, प्राहकों से दरसंचार विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभार लेता है।
- (xiii) सार्वजनिक टेलीफोन के लिए आवेदन हेत् दिशा-निर्देश तथा 'उन्हें शासित करने वाले नियमों को. टेलीफोन निर्देशिका के वाणिज्यिक पृष्टों में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

(xiv) जब पर्याप्त संख्या में आवेदन आगे नहीं आ रहे हों. तो आवधिक विज्ञापन स्थानीय समाचार-पत्रों में दिए जा सकते हैं।

#### 🗓 ग्रामीण

सामान्य शर्तों के अतिरिक्त प्रामीण एस॰टी॰डी॰. पी॰सी॰ओ॰ प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस प्रयोजनार्थ ग्रामीण एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ को उस पी॰सी॰ओ॰ के रूप में परिभावित किया गया है जो एक ऐसी एक्सचेंज प्रणाली में कार्यरत हो जिसकी श्रमता 512 लाइन और इससे कम है:

- 1. ग्रामीण एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के मामले में प्रति पी॰सी॰ओ॰ प्रति महा न्युनतम गारंटी शदा राजस्व 100/- र॰ निर्धारित किया गया है।
- 2. ग्रामीण एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के आवंटी द्वारा 6 महीने का गारंटी शुदा राजस्व या औसत मासिक राजस्व इनमें जो भी अधिक हो, उस पर आधारित 600/+ रु॰ का प्रतिभूमि निश्चेप जमा किया जाना होगा। यह औसत राजस्य पिछले ६ महीने के राजस्व के आधार पर परिकलित किया गया है।
- एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ प्रभारों की वसली के लिए साप्ताहिक बिलिंग चक्र का अनुपालन किया जाएगा ।

#### III. ग्रामीण (शहरी)

ग्रामीण (शहरी) क्षेत्रों के एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के संबंध में उपरोक्त सामान्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

. प्रत्येक .100 घरों / स्थापारिक परिसरों के लिए कम से कम एक एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ उपलब्ध किया जा सकता है।

93

### 2. एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ का स्थान

पी॰सी॰ओ॰ के आवंटन के लिए स्थान का चुनाव करते समय, एस॰एस॰ए॰ प्रमुख पी॰सी॰ओ॰ बूथों के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करने हेतु, स्थानीय निकायों, यथा नगरपालिका, सार्वजनिक संस्थानों से परामर्श करेंगे। पी॰सी॰ओ॰ बूथों का चयन करते समय निम्नालिखित महत्वपूर्ण स्थान निश्चित रूप से चुने जाने चाहिएं:

- -- वाणिज्यिक आवास समितियां
- पुनर्वास कालोनी
- -- सरकारी कालोनी
- रक्षा कार्मिकों के फैमिली क्वार्टर
- --- छत्रावास
- बस स्टैंड
- -- पर्यटक केन्द्र
- हवाई अड्डे
- तीर्थयात्री केन्द्र
- -- रेलवे स्टेशन
- -- धार्मिक संस्थाएं
- अस्पताल
- शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय
  आदि
- 4. गैर-ग्रामीण (शहरी) एस॰टी॰डी॰, पी॰सी॰ओ॰ के मामले में, विभाग को प्राप्य प्रति माह प्रति पी॰सी॰ओ॰ न्यूनतम गांरटी शुदा राजस्व 1600/- रु॰ निश्चित किया गया है।
- S. प्रतिभूमि निक्षेप के रूप में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 5000/- रू या औसत मासिक राजस्व, इनमें जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। औसत मासिक राजस्व का आकलन पिछले 6 महीनों के राजस्व के आधार पर किया जाएगा।
- 6. एस॰टो॰डी॰, पी॰सो॰ओ॰ प्रभारों की वसृली के लिए पाक्षिक बिलिंग चक्र का अनुपालन किया जाएगा। यदि प्रभार बहुत ज्यादा है, तो स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा साप्ताहिक बिलिंग का अश्रय लिया जा सकता है।

## सांसदों के कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोर्नों का लगाया जाना

## 6388. श्रीमती सुषमा स्वराजः प्रो॰ विजय कुमार मल्ह्रोत्राः

क्या संचार मंत्री 15 मार्च, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं॰ 228 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के बारे में और साथ जहां टेलीफोन कनेक्शन आवेदकों के स्थानों पर लगाने में तकनीकी कठिनाईयां है, के संबंध में कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित की है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है: और
- (ग) यदि नहीं, तो कोई समय सीमा निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखाराम): (क) जी, नहीं। देश में सभी स्थानों के लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, जो सभी स्थानों के लिए लागू हो।

- (ख) प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) इसके कारण निम्नलिखित हैं:---
- कनेक्सन की व्यवस्तर्यता में होने वाली कठिनाइयों की गंभीरता प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती हैं।
- महुधा बिना बारी के अनेक टेलीफोन कनेक्सन ऐसे क्षेत्रों के लिए मंजूर किए जाते हैं जिनमें व्यवहार्यता की दृष्टि से किसी भी तरह टेलीफोन प्रदान करना बहुत कठिन होता है। ऐसे दुसाध्य क्षेत्र स्थान विशेष में नेटबर्क के बिस्तार के दौरान ही व्यवहार्य हो सकते हैं।
- प्रायः ऐसे कनेक्सनों को व्यवहार्य बनाने में भूमिगत के बिलों, ओवर हैंड एलाइनमेंट आदि जैसे संसाधनों का अधिक मात्रा में व्यर्ध उपयोग होगा। व्यवहार्यता बनाने संबंधी ऐसे कार्यों के नेटवर्क की समग्र विस्तार योजना के साथ एकीकृत किया जाना होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना होता है।